भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 915
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विधि आयोग में रिक्तियां

915 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ख) विधि आयोग के अध्यक्ष के चयन, कार्यकाल और नियुक्ति के मानदंड क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के 22वां विधि आयोग (एलसीआई) का गठन, 21 फरवरी, 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था । इसका प्रमुख एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है । भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपना कार्यभार 9 नवंबर, 2022 (पूर्वाहन) से ग्रहण किया है । 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति या तो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश हो सकेगा या व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग से हो सकेगा, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी है । भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल आयोग की अवधि के साथ सहविस्तारी है ।

****